राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2808/2024

मसूद अख्तर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, राजस्थान उच्च न्यायालय के पास, जयपुर बेंच, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.09.2024

आदेश की दिनांक : 06.09.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति कृषि निदेशक के आदेश दिनांक 14.10.1977 को सहायक कृषि अनुसंधान के पद पर हुई थी और 9 एवं 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अपीलार्थी को चयनित वेतनमान प्रदान किया गया और 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अपीलार्थी को ग्रेड 6000 प्रदान की गई। उनका कथन है कि कार्मिक मधुबाला गुप्ता जो अपीलार्थी से कनिष्ठ है,

जिसे उक्त पद पर ही नियुक्ति दी गई थी, जिसे उच्च वेतनमान ग्रेड पे 6600 दी गई, परंतु अपीलार्थी को ग्रेड पे 6000 प्रदान किया गया। अपीलार्थी की सेवा संतोषजनक रही। अपीलार्थी को उसकी पूरी सेवा में एक ही पदोन्नति प्रदान की गई है। वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2005 में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 38 पर और कार्मिक मधुबाला गुप्ता का नाम क्रम संख्या 41 पर अंकित किया गया। फिर भी अपीलार्थी को ग्रेड पे 6000 और उससे कनिष्ठ कार्मिक को ग्रेड पे 6600 प्रदान की गई, जो सेवा नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को स्टेप अप पे का लाभ उससे कनिष्ठ कार्मिक मधुबाला गुप्ता को जिस तिथी से प्रदान किया गया है, उसी तिथी से अपीलार्थी को भी उक्त लाभ दिया जावे। उसके समान वेतन प्रदान किया जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ मय ब्याज सहित दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी की नियुक्ति कृषि निदेशक के आदेश दिनांक 14.10.1977 को सहायक कृषि अनुसंधान के पद पर हुई थी और 9 एवं 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अपीलार्थी को चयनित वेतनमान प्रदान किया गया और 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अपीलार्थी को ग्रेड 6000 प्रदान की गई। परंतु प्रकरण के वर्तमान परिस्थितियों एवं अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का

अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी एक माह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)